

# न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता सदर दरभंगा आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत  
सन्दर्भित वाद संख्या -81/2013-14



मसोमात राविया खातुन बनाम मो० हासीम वगैरह ।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
7.10.13	<p>अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद जिला जन शिकायत कोषांग, दरभंगा के पत्रांक- 1205/ज०शि०को०, दिनांक 25.04.2013 के आलोक में मसोमात राविया खातुन जौजे-स्व० मो० कमाल, मुहल्ला-रहमगंज, थाना-लहेरियासराय, जिला-दरभंगा के आवेदन-पत्र के आधार पर बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभ की गई है। इस वाद में मो० हासिम, पे०-स्व० मो० इब्राहीम एवं मो० मोतीउर रहमान, पे०-स्व० मो० इब्राहीम (विपक्षी प्रथम पक्ष) एवं मो० प्यारे, पे०-स्व० मो० यासीन एवं मो० दुलारे, पे०-स्व० मो० यासीन (विपक्षी द्वितीय पक्ष) चारों मुहल्ला - रहमगंज, थाना - लहेरियासराय, जिला - दरभंगा विपक्षी सदस्य है।</p> <p>उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दावे-प्रतिदावे का अनुशीलन किया तथा विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।</p> <p>आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विवादी खेसरा 24893 एवं 24894 कुल रकवा 03 कट्टा 19 धुर 90 धुरकी जमीन आवेदिका एवं विपक्षीगण के पूर्वज शेख रमजू के नाम C.S. खतियान में दर्ज है, जो शेख रमजू के शान्तिपूर्ण दखल-कब्जे में रहती आई। इनका आगे कथन है कि शेख रमजू अपने तीन बेटा, (1) अलीजान, (2) मो० जान एवं (3) रहीम बक्स को छोड़कर स्वर्गवास कर गए। इनका यह भी कथन है कि अलीजान अपने दो पुत्रों (1) शेख नन्हकू (2) छेदी को छोड़कर स्वर्गवास किये। वो मो० जान भी अपने एकमात्र पुत्र (1) इब्राहिम को छोड़कर स्वर्गवास कर गए। आवेदिका शेख छेदी की वारिस है, वो विपक्षीगण मो० इब्राहिम के वारिस है। आगे इनका कथन है कि शेख रमजू के कुल जायदाद में 1/3 हिस्सा अलीजान को मिला, वो उसी तरह 1/3 हिस्सा क्रमशः मो० इब्राहिम वो रहीम बक्स को मिला। इनका यह भी कथन है कि वाद में नन्हकू छेदी वो इब्राहिम ने मिलकर 01 कट्टा 02 धुर 44 धुरकी जमीन खेसरा नं०-24891 एवं 24892 में बन्दोवस्त लिया। जिसमें 1/3 हिस्सा शेख इब्राहिम को मिला। इस तरह खतियानी जमीन सहित बन्दोवस्ती वाली जमीन में जो हिस्सा मिला, उसमें छेदी के वंशज आवेदिका का छठवीं हिस्सा है, जिसमें आवेदिका अपना मकान बनाना चाहती है, तो विपक्षीगण अवरोध पैदा करते हैं। सुनवाई के दौरान आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि आवेदिका के ससुर छेदी ने अपने हिस्सा वाली कुल जमीन निबंधित केवाला दिनांक- 30.07.1964 के द्वारा विपक्षी के पिता - मो० इब्राहिम से इस शर्त के साथ बिक्री किया की माह फरवरी 1967 तक कुल जरसीमन की राशि अदा कर मूल केवाला</p>	

10/10/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
	<p>वापस लेते हुए मो० इब्राहिम से रजिस्ट्री बनवा लेंगे। इन्होंने यह भी बताया है कि शेख छेदी ने रूपया वापस देकर मूल केवाला वापस ले लिए। इसलिए छेदी द्वारा निष्पादित केवाला के आधार पर मो० इब्राहिम को कोई हक हकीयत नहीं हुआ। आगे इनका यह भी कहना है कि विवादित जमीन आज भी आवेदिका के शान्तिपूर्ण दखल-कब्जे में है। अतः आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता यह प्रार्थना करते हैं कि आवेदिका द्वारा अपने हिस्से वाली जमीन में जो मकान निर्माण कर रही है, उसमें अड़चन डालने से विपक्षीगण को रोक दिया जाय।</p> <p>विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि खेसरा नं०- 24893 एवं 24894 के खतियानी रैयत शेख रमजू के जीवनकाल में ही रहीमबक्श की मृत्यु हो गई। इस तरह उपरोक्त दोनों खेसरा की कुल जमीन खतियानी रैयत शेख रमजू के दोनों पुत्र (1) अलीजान एवं (2) मो० जान के दखल-कब्जे में आई। यह विपक्षी मो० जान के लड़के मो० इब्राहिम के वंशज है, तथा आवेदिका अलीजान के दूसरे बेटे शेख छेदी के वंशज है। आगे इनका यह भी कहना है कि आवेदिका के पूर्वज ने कुल खतियानी रकवा में से 10 धुर जमीन अन्य को फरोख्त कर दिए, वो भी खानदान के बड़े होने के नाते शेष रकवा 03 कट्ठा 09 धुर 90 धुरकी की जमाबन्दी शेख नन्हकू के नाम चलती रही। आगे इन्होंने बताया कि कुल खतियानी रकवा का आधा 01 कट्ठा 19 धुर 95 धुरकी की जमीन मो० जान विपक्षी के पूर्वज के हिस्से में मिला वो आधा अलीजान के वारिसान को मिला। इन्होंने यह भी बताया कि अलीजान के वारिस शेख नन्हकू वो शेख छेदी वो मो० जान के वारिस मो० इब्राहिम ने मिलकर खेसरा नं०- 24891 एवं 24892 में रकवा 15 धुर जमीन बन्दोवस्त लिए, लेकिन दखल-कब्जा में उक्त दोनों खेसरा का रकवा 01 कट्ठा 02 धुर 44 धुरकी रहता आया, जिसमें शेख इब्राहिम का 1/3 यानि 07 धुर 50 धुरकी हिस्सा मिला। इस तरह खतियानी वो बन्दोवस्ती वाली जमीन का कुल रकवा 02 कट्ठा 07 धुर 50 धुरकी मकान मय सहन के रूप में मो० इब्राहिम के दखल-कब्जा में आया, वो नन्हकू वो छेदी के दखल-कब्जा में खतियानी वो बन्दोवस्ती वाली जमीन मिलाकर 02 कट्ठा 14 धुर 95 धुरकी आया, जिसमें से वे लोग 10 धुर जमीन फरोख्त कर चुके थे। इस तरह नन्हकू वो छेदी के दखल-कब्जे में 02 कट्ठा 05 धुर के लगभग जमीन बची रही। आगे इनका यह भी कहना है कि शेख छेदी ने अपना हिस्सा 01 कट्ठा 03 धुर 52 धुरकी जमीन निबंधित केवाला दिनांक 30.07.1964 के द्वारा इस विपक्षी के पिता मो० इब्राहिम को फरोख्त कर इस शर्त के साथ दखल-कब्जा दे दिया, कि फरवरी 1967 तक अगर छेदी जरसीमन की कुल राशि शेख इब्राहिम को अदाकर वो मूल केवाला वापस लेने के साथ-साथ वापस रजिस्ट्री करा लेंगे, अगर वे ऐसा नहीं कर सकेंगे तो यही केवाला बैलाकलामी माना जाएगा, कोई नया दस्तावेज लिखने की</p>	

107/10/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
	<p>आवश्यकता नहीं होगी। इनका यह भी कथन है कि शेख छेदी ने कभी भी जरसेमन की राशि न तो वापस किये न ही शेख इब्राहिम ने कोई केवाला शेख छेदी के पक्ष में निष्पादित ही किए। इनका यह भी कथन है कि सन् 1964 के केवाला से प्राप्त 01 कट्टा 03 धुर 52 धुरकी जमीन वो खतियानी 01 कट्टा 19 धुर 95 धुरकी एवं बन्दोवस्ती वाली 07 धुर 50 धुरकी जमीन मिलाकर कुल रकवा 03 कट्टा 10 धुर 97 धुरकी जमीन मय मकान मो0 इब्राहिम के दखल-कब्जा में रहती आई जो इब्राहिम के मर जाने पर इस विपक्षीगण के शान्तिपूर्ण दखल-कब्जे में रहती चली आ रही है।</p> <p>विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सन् 1964 के मूल केवाला प्रस्तुत करने पर उसका प्रतिवाद करते हुए विपक्षी के अधिवक्ता ने कहा कि कानून का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी दस्तावेज में अंकित राशि की वापस पाने के संबंध में, उस दस्तावेज के पिछले पृष्ठ पर जरसीमन की राशि वापस पाने का रसीद उद्धित होना अनिवार्य है, जबकि इस दस्तावेज पर ऐसा कुछ भी उल्लेखित नहीं हैं। साथ ही, सन् 1964 के केवाला के शर्तानुसार मो0 इब्राहिम से शेख छेदी या उनके वारिसान ने उक्त केवाला के निस्वत कोई रजिस्ट्री नहीं करवाया है, जहाँ तक आवेदिका के रहने का प्रश्न है तो इस विपक्षी ने खानदान की बहु समझकर एक कमरा वो बरामदा रहने के लिए दिए हुए हैं, तथा आवेदिका का दखल-कब्जा अनुमति से है। इनका यह भी कहना है कि जब शेख छेदी ने अपने जीवनकाल में ही अपना कुल हक वो हिस्सा निबंधित दस्तावेज के द्वारा हस्तांतरित कर दिए तो फिर उनके वारिसान का स्वत्व, हक वो अधिकार उक्त रकवा पर होने का सवाल ही नहीं उठता है। इनका यह भी कहना है कि इस मुकदमा में स्वत्व का जटिल मामला सन्निहित है, क्योंकि आवेदिका छेदी के स्वत्व के आधार पर अपना दावा छःद्वी हिस्सा के रूप में करता है, जबकि छेदी अपना स्वत्व सन् 1964 में ही हस्तांतरित कर चुके हैं, तथा स्वत्व का जटिल मामला का निष्पादन इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विपक्षी के अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि वाद को खर्चा सहित खारिज किया जाय। पक्षकारों द्वारा दाखिल प्रमाण अभिलेख पर संघारित है।</p> <p>उभय पक्षों को सुनने एवं पक्षकारों द्वारा दाखिल प्रमाण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में स्वत्व न्यायनिर्णीत करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित है, जिसका सामाधान इस न्यायालय से सम्भव नहीं है। अतः बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा-4 की उपधारा (5) के तहत प्रस्तुत कार्रवाई को close (बन्द) किया जाता है। वादिनी चाहें तो अपने स्वत्व एवं दावे उपचार वो निर्धारण हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय के समक्ष याचना करने हेतु स्वतंत्र हैं।</p> <p>इसी मन्तव्य के साथ अभिलेख संचिकास्त किया जाता है।</p> <p>लेखापित्त एव शुद्धित    मू0 सु0 उप समाहर्ता  सदर, दरभंगा।</p> <p>  मूमि सुधार उप समाहर्ता  सदर, दरभंगा।</p>	